माननीय न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल के समक्ष

कुलदीप सिंह और अन्य - अपीलकर्ता

बनाम

ओम पाल और अन्य-प्रतिवादी

2005 का आर ए सए क्रमांक 3565

30 नवंबर 2018

(ए) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - आदेश.6 नियम.2 - दलीलें - भौतिक तथ्यों के संक्षिप्त रूप में एक बयान शामिल करना जिस पर पक्ष की दलीलें निर्भर करती हैं, जैसा भी मामला हो, दावा या बचाव से - साक्ष्य की वकालत नहीं की जानी चाहिए .

आदेश 6 नियम 2 सीपीसी के अनुसार, अभिवचन में भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त रूप में एक बयान शामिल होना चाहिए, जिस पर पक्षकार अपने दावे या बचाव, जैसा भी मामला हो, पर भरोसा करता है। साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों न्यायालयों ने माना है कि श्रीमती द्वारा दायर लिखित बयान के बाद से। इस पहलू पर चुप हैं कि सहदायिक संपत्ति से आय के अलावा स्वतंत्र स्रोत लिया गया है, इसलिए, दिए गए सबूत दलीलों से परे हैं। गौरतलब है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने अपने लिखित बयान में दलील दी थी कि टेकन मेहनत मजदूरी करता था और मवेशियों की खरीद-फरोख्त का कारोबार करता था और उक्त आय से उसने 29 बीघे 8 बिस्वा जमीन खरीदी थी. एक बार यह दलील दी गई कि जमीन टेकन ने अपने जीवन काल में खरीदी है, इस तथ्य की दलील दी गई थी और साक्ष्य की दलील देने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर प्रतिवादी-अपीलकर्ता के पक्ष में दिया जाता है।

(पैरा 19)

(बी) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - आदेश 41 नियम 27 - प्रक्रिया - कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए न्यायालयों द्वारा पर्याप्त न्याय करने का प्रयास - प्रक्रिया - न्याय के लिए हस्तनिर्मित - न्याय को बाधित करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता - अतिरिक्त साक्ष्य केवल निर्धारित मापदंडों के भीतर ही अनुमति दी जाती है - प्रथम अपीलीय न्यायालय - अतिरिक्त साक्ष्य के लिए आवेदन खारिज नहीं करना हल्के-फुल्के कारण बता रहे हैं।

अभिनिर्धारित किया गया कि इसके अलावा, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, पक्षों को न्यायालय की अनुमति से अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अनुमति देने के लिए आदेश 41 नियम 27 के तहत अतिरिक्त साक्ष्य का प्रावधान क़ानून में प्रदान किया गया है। बेशक, अतिरिक्त साक्ष्य की अनुमति केवल सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के तहत निर्धारित मापदंडों के भीतर ही दी जा सकती है। हालाँकि, विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय से यह उम्मीद नहीं की जाती है कि

वह मामूली कारण बताकर अतिरिक्त साक्ष्य के आवेदनों को खारिज कर देगा। यह देखा गया है कि कभी-कभी, जो अतिरिक्त सबूत पेश करने की मांग की जाती है, वह मामले की दिशा तय कर देता है, लेकिन पता चला है कि प्रथम अपीलीय अदालत किसी न किसी तकनीकी पर भरोसा करते हुए आवेदन को खारिज कर देती है। न्यायालयों का गठन पक्षों के बीच न्याय करने के लिए किया गया है। न्यायालयों द्वारा कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए पर्याप्त न्याय करने का प्रयास किया जाना चाहिए। हालाँकि, इस प्रक्रिया का उपयोग न्याय को बाधित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। पक्षों के बीच ठोस न्याय करने में न्यायालय की मदद के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। न्याय के लिए प्रक्रियाएं हस्तनिर्मित हैं।

(पैरा 21)

(सी) उच्च न्यायालय के नियम और आदेश - सहदायिक संयुक्त हिंदू परिवार - प्रमाण - चकबंदी से पहले और बाद के राजस्व रिकॉर्ड की जांच की जाएगी - उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों में किए गए प्रावधान - एक राजस्व अधिकारी की नियुक्ति करें और राजस्व रिकॉर्ड का एक अंश तैयार करें।

अभिनिर्धारित किया गया कि यह दर्ज करने से पहले कि संपत्ति सहदायिक है, उस पक्ष के लिए यह आवश्यक है कि वह संपत्ति सहदायिक होने का आरोप लगाए, यह साबित करे कि सहदायिक अस्तित्व में है और मुकदमा दायर होने तक जारी है। सहदायिक संपत्ति स्थापित करने के लिए, यह आवश्यक है कि पुराने और नए खसरा नंबर (जोत के पूर्व और बाद के समेकन) ठीक से जुड़े हुए हैं और भूमि की पहचान बिना किसी संदेह के स्थापित की गई है। यही कारण है कि उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों में राजस्व अधिकारी की नियुक्ति करने और राजस्व रिकॉर्ड का एक अंश तैयार कराने का प्रावधान किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है, अंश का उत्पादन आवश्यक नहीं है, लेकिन अंश और राजस्व अधिकारी की जांच के अभाव में, न्यायालय या पक्ष को फ़ाइल में पर्याप्त रिकॉर्ड पेश करना होगा जिससे न्यायालय को अभिलेखों की तुलना करने की अनुमति मिल सके ताकि उस भूमि की पहचान की जा सके जिस पर दावा किया गया है। सहदायिक संपत्ति होना। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, नक्शा हकदरबार और मिसाल हकियत (एकीकरण के बाद पहली जमाबंदी) की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, यह स्पष्ट है कि 80% से अधिक पुराने खसरा नंबर नए खसरा नंबरों से मेल नहीं खाते हैं जो एकीकरण के बाद आवंटित किए गए हैं। वर्ष 1955-56 की जमाबंदी उपरोक्त तथ्य की गवाही देती है। इससे भी आगे, नक्शा हकदरबार स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि ऊपर उल्लिखित 6 अलग-अलग खेवट नंबरों की भूमि को मिला दिया गया है, हालांकि, उपरोक्त सभी 6 खेवटों से जुड़े चकबंदी से पहले का राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(पैरा 22)

(डी) सहदायिक संपत्ति - किसी व्यक्ति द्वारा खरीदी गई संपत्ति को संयुक्त हिंदू परिवार के केंद्र/सामान्य निधि से खरीदी गई नहीं माना जा सकता है जब तक कि निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए फ़ाइल पर सबूत न हो।

अभिनिर्धारित किया गया कि जहां तक प्रश्न संख्या 5 का संबंध है, यह अच्छी तरह से तय है कि जो संपत्ति किसी व्यक्ति द्वारा खरीदी गई है, उसे खरीदी हुई नहीं माना जा सकता है।

संयुक्त हिंदू परिवार के केंद्रक/सामान्य निधि से जब तक कि निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए फ़ाइल में कोई सबूत न हो। फाइल में यह साबित हो चुका है कि 29 कनाल और 4 मरले जमीन 16.11.1957 को टेकन द्वारा खरीदी गई थी। इस बात का प्रमाण सामने आया है कि टेकन एक मेहनती व्यक्ति था जो न सिर्फ अपनी जमीन पर खेती कर रहा था बल्कि जमीन पट्टे पर भी ले रहा था. इसके अलावा, वसीयत में, टेकन ने विशेष रूप से कहा है कि जिस जमीन की वसीयत करने की मांग की गई है, वह उसकी स्व-अर्जित संपत्ति है। इसके अलावा, यह साक्ष्य में आया है कि टेकन ब्याज के साथ चुकाए जाने वाले ऋण पर पैसा देने के अलावा मवेशियों का व्यापार भी करता था। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष, टेकन द्वारा लिखी गई पुरानी बहियों (नोटबुकों) को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने की मांग की गई थी, लेकिन विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उपरोक्त साक्ष्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। किसी भी मामले में, एक बार यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि खरीदी गई संपत्ति सामान्य केंद्र या संयुक्त हिंदू परिवार निधि से थी, वादी उस तथ्य को स्थापित करने के लिए किसी भी निर्विवाद सबूत का नेतृत्व करने में विफल रहा है। न्यायालयों ने फाइल पर विश्वसनीय साक्ष्य के बिना इस तथ्य को मान लिया है।

(पैरा 24)

उपरोक्त के मद्देनजर, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर भी प्रतिवादी-अपीलकर्ता के पक्ष में दिया जाता है।

(पैरा 25)

अशोक सिंगला, वकील और आकाश सिंगला, वकील (आरएसए-3565-2005 में) अपीलकर्ताओं के लिए (आरएसए-3835-2005 में) उत्तरदाताओं के लिए

अरुण जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता, चेतन सलाथिया, अधिवक्ता, (आरएसए-3565-2005 में) प्रतिवादियों के लिए (आरएसए-3835-2005 में) अपीलकर्ताओं के लिए ।

माननीय न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल

(1) इस निर्णय के तहत, वादी के साथ-साथ प्रतिवादियों द्वारा दायर 2005 के आरएसए नंबर 3565 और 2005 के आरएसए नंबर 3835 वाली इन दो अपीलों का निपटारा कर दिया जाएगा क्योंकि दोनों अपीलें एक ही मुकदमे और वकील से उत्पन्न हुई हैं। पक्षों का यह भी मानना है कि दोनों अपीलों का निपटारा एक सामान्य निर्णय द्वारा आसानी से किया जा सकता है।

(2) इस न्यायालय की सुविचारित राय में, कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न विचार के लिए उठते हैं: -

1. क्या साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता है?

2. क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील का सरसरी/अनावश्यक तरीके से निपटारा करना उचित है?

3. क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय को अपील पर निर्णय करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के प्रावधानों द्वारा शासित होने के साथ-साथ अतिरिक्त साक्ष्य के लिए अवसर देने में उदार होना चाहिए, यदि प्रस्तुत किया जाने वाला दस्तावेज़ अप्राप्य है विश्वसनीयता?

4. क्या अदालतों को यह निष्कर्ष दर्ज करने से पहले कि संपत्ति सहदायिक संयुक्त हिंदू परिवार है, पुराने और नए राजस्व रिकॉर्ड (जोत के समेकन से पहले और बाद में) की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए और इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि संपत्ति जुड़ी हुई है और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है पैतृक होने का दावा करने वाली संपत्ति की पहचान को लेकर संदेह?

5. क्या न्यायालयों का यह मानना उचित है कि पक्षों के पिता द्वारा खरीदी गई संपत्ति पैतृक भूमि और सामान्य नाभिक से प्राप्त कमाई से है और इसलिए, खरीदी गई संपत्ति भी सहदायिक संपत्ति है?

6. क्या राहत के कम/एक हिस्से के लिए अपने ग्राहकों के हितों की रक्षा करते समय पार्टियों के विद्वान वकील का तर्क मुकदमे में दावा की गई पूरी राहत का दावा करते समय आगे की अपील में रोक के रूप में काम कर सकता है?

(3) हालाँकि, कानून के सवालों का जवाब देने से पहले, कुछ तथ्यों पर ध्यान देना उचित होगा।

(4) पार्टियों के बीच संबंधों को निम्नलिखित वंशावली तालिका से आसानी से समझा जा सकता है: -

(5) वादी-ओम पाल ने यह दावा करते हुए मुकदमा दायर किया है कि वादी, प्रतिवादी संख्या 4 और 5 और उनके पिता टेकन पुत्र जगना एक संयुक्त हिंदू परिवार का गठन करते हैं और उनके पिता संयुक्त हिंदू परिवार के कर्ता/प्रबंधक थे। प्रतिवादी संख्या 3 और 6 विवाहित बेटियाँ होने के कारण परिवार की सदस्य नहीं रहीं। संयुक्त हिंदू परिवार/सहदायिक संपत्ति के संबंध में अलगाव, उत्तराधिकार और विभाजन के मामले में वादी, प्रतिवादी संख्या 4 और 5 और उनके पिता मिताक्षरा कानून द्वारा शासित होते हैं। वादी का यह भी मामला है कि कुल भूमि में से, 29 कनाल और 4 मरला भूमि उसके पिता द्वारा पैतृक/सहदायिक संपत्ति की आय और लाभ से खरीदी गई थी। वादी ने इस प्रकार अनुरोध किया कि सिविल कोर्ट की दिनांक 05.02.1994 की डिक्री अवैध है और उसके

अधिकारों पर बाध्यकारी नहीं है। यह दावा किया गया था कि कुल भूमि 29 कनाल 4 मरला (स्वयं खरीदी गई) और 51 कनाल 6 मरला थी जो जगना से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी।

(6) प्रतिवादी नंबर 1 ने मुकदमा लड़ा और दलील दी कि कोई संयुक्त हिंदू परिवार नहीं है क्योंकि वादी के साथ-साथ प्रतिवादी नंबर 4 और 5 टेकन से अलग रह रहे थे। वादी और उसके भाई बुढ़ापे में टेकन की देखभाल नहीं कर रहे थे, बल्कि प्रतिवादी नंबर 1 से 3 ही स्वर्गीय श्री की देखभाल और सेवा कर रहे थे। बुढ़ापे में लिया गया. आगे दावा किया गया है कि टेकन ने प्रतिवादी नंबर 1 और 2 के पक्ष में दिनांक 06.11.1992 को एक पंजीकृत वसीयत निष्पादित की थी और उसके बाद, पारिवारिक समझौते के आधार पर, यह स्वीकार किया गया कि 48 कनाल 18 मरला प्रतिवादी के हिस्से में आ गया था। .1 से 3. दावा किया गया था कि वह एक मेहनती व्यक्ति था जो मवेशियों की खरीद और बिक्री का व्यवसाय करता था और इसलिए, उसने अपने द्वारा अर्जित राशि से दिनांक 16.11.1957 के बिक्री विलेख के माध्यम से 29 कनाल और 4 मरला जमीन खरीदी। और इसलिए, वसीयत और डिक्री का बचाव किया गया। प्रतिवादी संख्या 3-माया द्वारा अलग से लिखित बयान दायर किया गया था, जिसने प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के मामले का समर्थन करने के अलावा कहा था कि वह प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के साथ पिछले कई वर्षों से टेकन के साथ रह रही थी।

(7) लिखित बयान की प्रतिकृति दायर की गई और प्रतिवादी नंबर 1 और 3 द्वारा दायर अलग-अलग लिखित बयानों में किए गए दावों का खंडन किया गया।

(8) वादी ने अपने मामले को साबित करने के लिए वर्ष 1911-12 से 1943-44, 1955-56 तक की जमाबंदियों की रिकॉर्ड प्रतियां पेश कीं। वर्ष 1911-12 की जमाबंदी साबित करती है कि रामजस के बेटे जगना, अमीरा, जुग लाल और फेली 89 बीघे और 15 बिस्वा जमीन के बराबर हिस्से के संयुक्त मालिक थे। वर्ष 1915-16 की अगली जमाबंदी भी उपरोक्त तथ्य को सिद्ध करती है। कहा जाता है कि वर्ष 1918 में, जगना की मृत्यु हो गई थी और खेवट संख्या 178, 181, 198 और 210 (शामलात देह खेवट) में शामिल भूमि का उत्परिवर्तन 04.04.1919 को स्वीकृत उत्परिवर्तन संख्या 363 के तहत टेकन के पक्ष में स्वीकृत किया गया था। फाइल में पेश की गई अगली जमाबंदी वर्ष 1923-24 की है, जिसमें दर्ज है कि जगना के स्थान पर टेकन को 89 बीघे और 15 बिस्वा भूमि में 1/4 हिस्से के मालिक के रूप में दर्ज किया गया है। यह तथ्य वर्ष 1927-28, 1931-32 एवं 1939-40 की जमाबंदी से और भी पुष्ट होता है। हालाँकि, वर्ष 1939-40 की जमाबंदी साबित करती है कि परिवार की सभी चार शाखाओं के स्वामित्व वाली कुल भूमि यानी रामजस के उत्तराधिकारी 53 बीघे और 7 बिस्वा के मालिक हैं। वर्ष 1943-44 की जमाबंदी से यह भी स्थापित हुआ कि परिवार 53 बीघे और 7 बिस्वा का मालिक था।

(9) इसके बाद, वर्ष 1955-56 के लिए मिसाल हकियात (जमाबंदी जिसमें चकबंदी से पहले और चकबंदी के बाद के खेवट नंबरों को दर्ज किया जाता है) का उत्पादन किया गया है, जो स्थापित करता है कि टेकन के खेवट को अलग कर दिया गया है और उन्हें 51 कनाल का मालिक दिखाया

गया है और 6 मरला और अधिकांश खसरा नंबर (यानी 80% से अधिक) जिन्हें पुराने नंबर के रूप में उल्लिखित किया गया है, वे टेकन की पिछली भूमि जोत से मेल नहीं खाते/जुड़े हुए हैं, जब उन्हें रामजस के अन्य उत्तराधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से दर्ज किया गया था।

(10) चकबंदी के दौरान तैयार नक्शा हकदारवार (मालिक की भूमि का विवरण) जिसमें यह साबित होता है कि रामजस परिवार की सभी चार शाखाओं की भूमि अलग कर दी गई है और उनकी संपत्ति का विभाजन कर दिया गया है। नक्श हकदारवार साबित करें कि टेकन को पुराने खेवट नंबर 219, 220, 223 से 225 और 253 के बदले में खेवट नंबर 281 में 43 कनाल और 5 मरला जमीन आवंटित की गई थी, जबकि अमीरा के पुत्र आसा राम के खेवट को अलग कर खेवट आवंटित किया गया है। क्रमांक 282. अगर कोई तुलना करता है

वर्ष 1955-56 की जमाबंदी के साथ इस नक्शा हकदारवार से यह स्पष्ट है कि 51 कनाल और 6 मरला की पूरी भूमि सामान्य पूर्वज यानी रामजस से प्राप्त अन्य परिवार के सदस्यों के साथ-साथ टेकन के स्वामित्व वाली सभी भूमि के एकीकरण का परिणाम नहीं है। . इसके अलावा चकबंदी के दौरान तैयार की गई खतौनी पैमाइश पेश की गई है, जिससे साबित होता है कि रामजस से निकली चार शाखाओं के बीच की संपत्ति का बंटवारा कर उनकी जोत अलग कर दी गई है। खेवट नंबर 270 में टेकन को 9 कनाल 4 मरला जमीन भी आवंटित कर दी गई है।

(11) प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य में, यह रिकॉर्ड में आया है कि टेकन और उसके तीनों बेटे अलग-अलग रहने लगे थे और माया, प्रतिवादी नंबर 3, टेकन की बेटी, जिसका विवाह ऋषि से हुआ था, अपने पति के साथ नहीं रह सकती थी और इसलिए , वापस आकर अपने पिता टेकन के साथ रहने लगी। टेकन की पत्नी की मृत्यु टेकन के जीवनकाल में ही हो गई थी और माया और उसके बच्चे ही टेकन की सेवा करते थे। पीडब्लू-2 के रूप में पेश हुए ज्ञानेश्वर ने स्वीकार किया है कि टेकन ने अपने जीवन काल में अपने बेटों को खेती के लिए अलग जमीन दी थी क्योंकि तीनों भाइयों के बीच विवाद था और तीनों भाई टेकन से अलग रहते थे।

(12) ओम पाल-वादी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि टेकन पट्टे पर ली गई पंचायती भूमि पर भी खेती कर रहा था। यह आगे स्वीकार किया गया है कि उनके एक चाचा यानी आसा राम की 22-23 साल पहले निःसंतान मृत्यु हो गई थी और उनकी संपत्ति टेकन के बेटों के साथ-साथ माया के बेटे यानी कुलदीप, प्रतिवादी नंबर 1 के पास आ गई थी।

(13) टेकन ने माया (बेटी) से अपने पोते-पोतियों, प्रतिवादी नंबर 1 और 2 के पक्ष में एक पंजीकृत वसीयत अनुलग्नक डी डब्ल्यू-6/ए निष्पादित की थी। इस वसीयत का निष्पादन नीचे के दोनों न्यायालयों द्वारा सिद्ध पाया गया है। उपरोक्त वसीयत अनुलग्नक डी डब्ल्यू-6/एके अनुसार, टेकन ने अपनी पोती वर्षा रानी, प्रतिवादी नंबर 2 को 1 एकड़ जमीन और शेष भूमि यानी 40 कनाल और 18 मरला अपने पोते कुलदीप पुत्र माया के पक्ष में वसीयत कर दी थी। वसीयत में, यह विशेष रूप से दर्ज किया गया है कि उनके 3 बेटे, 2 बेटियां हैं और उन्होंने पहले ही बेटों के हिस्से में आई

जमीन को अलग-अलग आवासों के साथ हस्तांतरित कर दिया है और वह अपनी दूसरी बेटी श्रीमती को कोई और संपत्ति नहीं देना चाहते हैं। . राज कुमारी के अलावा उन्होंने उसकी शादी और विभिन्न अवसरों पर उपहारों पर भी खर्च किया है। आगे कहा गया है कि उनके तीन बेटे उनके नियंत्रण से बाहर हैं और हालांकि, वह बीमार हैं लेकिन बेटे उनके इलाज पर खर्च नहीं करना चाहते हैं. वसीयत में आगे लिखा है कि उनकी बेटी माया और उसके बच्चे लगभग 12 साल से उनके साथ रहकर देखभाल कर रहे हैं। आगे कहा गया है कि उपरोक्त संपत्ति उनकी स्वअर्जित संपत्ति है। सब-रजिस्ट्रार की जांच के अलावा गवाह हंसा राम की जांच से वसीयत साबित हो गई है।

(14) इसके अलावा, यह फ़ाइल पर साबित हो गया है कि प्रतिवादी नंबर 1 से 3 ने टेकन के खिलाफ पारिवारिक समझौते के आधार पर मुकदमा दायर किया, जिसमें टेकन ने वादी के दावे को स्वीकार करते हुए लिखित बयान दायर किया। टेकन भी साक्ष्य में उपस्थित हुए और शपथ पर कहा कि वह उस मुकदमे में वादी के दावे को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार, 05.02.1994 को एक सिविल कोर्ट का फैसला और डिक्री पारित किया गया जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से 3 (यहां) को 48 कनाल और 18 मरला भूमि के कब्जे में मालिक घोषित किया गया। इस मुकदमे में इस डिक्री के साथ-साथ वसीयत को भी चुनौती दी गई है।

(15) दोनों न्यायालयों ने वादी द्वारा दायर मुकदमे पर फैसला सुनाया है, हालांकि, वसीयत के निष्पादन को साबित माना गया है। हालाँकि, न्यायालयों ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले हैं: -

1. वह 51 कनाल और 6 मरला भूमि सहदायिक संपत्ति साबित हुई है।

2. टेकन द्वारा दिनांक 16.11.1957 को बिक्री विलेख के माध्यम से खरीदी गई 29 कनाल और 8 मरला भूमि सहदायिक संपत्ति से प्राप्त आय से है क्योंकि टेकन केवल कृषि कार्य कर रहा था और इसलिए, जाहिर है, संपत्ति सहदायिक संपत्ति से प्राप्त आय से खरीदी गई थी।

3. संयुक्त हिंदू परिवार की सहदायिक संपत्ति को कानूनी आवश्यकता के बिना किसी भी तरह से कर्ता द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, जो वर्तमान मामले में साबित नहीं हुआ है।

(16) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, राजस्व रिकॉर्ड जो फ़ाइल पर प्रस्तुत किया गया है वह यह साबित नहीं करता है कि पूरी संपत्ति रामजस से ली गई के हिस्से में आई थी। दरअसल, यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है कि रामजस उस जमीन का मालिक था। वर्ष 1911 के बाद की जमाबंदी साबित करती है कि रामजस के चार बेटे 89 बीघे और 15 बिस्वा के मालिक थे। जगना की मृत्यु पर, भूमि को टेकन के पक्ष में परिवर्तित कर दिया गया और कुल संयुक्त भूमि 89 बीघे और 15 बिस्वा है। 4 खेवतों यानी 178, 181, 198 और 210 (शामलात देह) में शामिल भूमि को जगना के स्थान पर टेकन के पक्ष में परिवर्तित कर दिया गया था। हालाँकि, वर्ष 1939-40 की जमाबंदी के अनुसार, रामजस से निकलने वाली इन चार शाखाओं की भूमि घटकर 53 बीघे और 7 बिस्वा रह गई, जो वर्ष 1943-44 की जमाबंदी में जारी है। मिसाल हकियात (एकीकरण के बाद पहली जमाबंदी) जो पुनः

पुराने और नए खसरा नंबर स्पष्ट रूप से साबित करते हैं कि चार शाखाओं के बीच विभाजन हुआ था और टेकन का खेवट अलग हो गया था। हालाँकि, पुराने और नए खसरा नंबरों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधिकांश खसरा नंबर पिछली जमाबंदी यानी 1943-44 से जुड़े नहीं हैं। 1943-44 से लेकर 1955-56 तक कोई जमाबंदी नहीं बनी. इसके अलावा, नक्शा हकदरबार के अनुसार, जो फाइल पर प्रस्तुत किया गया है, यह साबित करता है कि 51 कनाल भूमि की गणना करने के लिए 6 अलग-अलग खेवटों से 6 मरला भूमि को क्रमांक 219, 220, 223, 224, 225 और 253 में मिला दिया गया है। .

(17) इस न्यायालय की सुविचारित राय में, यह निष्कर्ष निकालने से पहले कि संपत्ति सहदायिक संपत्ति है और यह सहदायिक होने के साथ-साथ संयुक्त हिंदू परिवार भी बनी हुई है, यह साबित करना होगा कि संयुक्त हिंदू परिवार सहदायिक बनी हुई है। संयुक्त हिंदू परिवार की तुलना में संकीर्ण शरीर। सहदायिकता कानून की रचना है और केवल इसलिए कि यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि संपत्ति एक सामान्य पूर्वज से विरासत में मिली है, तो भी सहदायिकी अस्तित्व में नहीं आती है। चकबंदी के दौरान चार शाखाओं की भूमि अलग कर दी गई थी। यह साक्ष्य में आया है और टेकन द्वारा वसीयत में भी दर्ज किया गया है कि उसने अपने बेटों को अलग कर दिया है और उन्हें जमीन और मकान दे दिए हैं। यह भी रिकॉर्ड में आया है कि टेकन के चचेरे भाई, आसा राम, जिनकी निःसंतान मृत्यु हो गई, ने अपने पीछे 7 एकड़ जमीन छोड़ दी थी, जिस पर वादी, प्रतिवादी नंबर 4 और 5 और अन्य ने कब्जा कर लिया था। संयुक्त हिंदू परिवार में व्यवधान वसीयत में वर्णित कथन के साथ-साथ वादी की ओर से पेश हुए ज्ञानेश्वर के बयान से साबित हुआ, जिन्होंने स्वीकार किया कि टेकन के बेटे अपने अलग-अलग घरों में अलग रह रहे हैं और टेकन ने उन्हें जमीन दी थी। उनका जीवन काल अलग से. बल्कि यह साक्ष्य में आया है कि ओम प्रकाश, प्रतिवादी नंबर 4, 30 साल पहले अलग हो गए थे जब उनकी शादी हुई थी। अपनी मां की मृत्यु के बाद भी, माया और उसके बच्चे टेकन के साथ रह रहे थे और वादी या उसके भाई अर्थात् प्रतिवादी संख्या 4 और 5 अपने पिता के साथ नहीं रहते थे। वसीयत में यह भी लिखा है कि उनके बेटे बीमार होने पर भी उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं और माया और उसके बच्चे उनकी सेवा कर रहे हैं।

(18) उपरोक्त के मद्देनजर, कानून के प्रश्न जो पहले बनाए गए हैं, उनका उत्तर दिया जाना आवश्यक है।

प्रश्न क्रमांक 1

(i) क्या साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता है?

(19) आदेश 6 नियम 2 सीपीसी के अनुसार, अभिवचन में भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त रूप में एक बयान शामिल होगा, जिस पर पक्षकार अपने दावे या बचाव, जैसा भी मामला हो, पर भरोसा करता है। साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों न्यायालयों ने माना है कि श्रीमती द्वारा दायर लिखित बयान के बाद से। माया इस पहलू पर चुप हैं कि सहदायिक संपत्ति से आय के अलावा

स्वतंत्र स्रोत लिया गया है, इसलिए, दिए गए सबूत दलीलों से परे हैं। गौरतलब है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने अपने लिखित बयान में दलील दी थी कि टेकन मेहनत मजदूरी करता था और मवेशियों की खरीद-फरोख्त का कारोबार करता था और उक्त आय से उसने 29 बीघे 8 बिस्वा जमीन खरीदी थी. एक बार यह दलील दी गई कि जमीन टेकन ने अपने जीवन काल में खरीदी है, इस तथ्य की दलील दी गई थी और साक्ष्य की दलील देने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर प्रतिवादी-अपीलकर्ता के पक्ष में दिया जाता है।

प्रश्न संख्या 2 और 3

(ii) क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील का सरसरी/अनावश्यक तरीके से निपटारा करना उचित है?

(iii) क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय को अपील पर निर्णय लेते समय सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के प्रावधानों द्वारा शासित होने के साथ-साथ अतिरिक्त साक्ष्य के लिए अवसर देने में उदार होना चाहिए, यदि प्रस्तुत किया जाने वाला दस्तावेज़ है निर्विवाद विश्वसनीयता?

(20) सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के अनुसार, विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय को फ़ाइल पर उपलब्ध दलीलों और साक्ष्यों की फिर से सराहना करने की आवश्यकता है। ज्ञात हुआ कि प्रथम अपीलीय न्यायालय, तथ्य खोजने का अंतिम न्यायालय है, उसे अपने निर्णय के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए मुकदमे पर फिर से निर्णय करना है। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रथम अपील को अनावश्यक ढंग से निस्तारित करना उचित नहीं है। यह कानून के आदेश के विरुद्ध है. वर्तमान मामले में, विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने फ़ाइल पर प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य विशेषकर दस्तावेजी साक्ष्य का उल्लेख किए बिना और उसका विश्लेषण किए बिना अपील पर निर्णय लेने का निर्णय लिया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय का यह दायित्व था कि वह पक्षों द्वारा रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किए गए संपूर्ण साक्ष्यों पर चर्चा करने के बाद अपील पर निर्णय करे।

(21) फिर भी, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, पक्षों को न्यायालय की अनुमति से अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अनुमति देने के लिए आदेश 41 नियम 27 के तहत अतिरिक्त साक्ष्य का प्रावधान क़ानून में प्रदान किया गया है। बेशक, अतिरिक्त साक्ष्य की अनुमति केवल नागरिक संहिता के आदेश 41 नियम 27 के तहत निर्धारित मापदंडों के भीतर ही दी जा सकती है।

हालाँकि, विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय से यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वह मामूली कारण बताकर अतिरिक्त साक्ष्य के आवेदनों को खारिज कर देगा। यह देखा गया है कि कभी-कभी, जो अतिरिक्त सबूत पेश करने की मांग की जाती है, वह मामले की दिशा तय कर देता है, लेकिन पता चला है कि प्रथम अपीलीय अदालत किसी न किसी तकनीकी पर भरोसा करते हुए आवेदन को खारिज कर देती है। न्यायालयों का गठन पक्षों के बीच न्याय करने के लिए किया गया है। न्यायालयों द्वारा कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए पर्याप्त न्याय करने का प्रयास किया

जाना चाहिए। हालाँकि, इस प्रक्रिया का उपयोग न्याय को बाधित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। पक्षों के बीच ठोस न्याय करने में न्यायालय की मदद के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। न्याय के लिए प्रक्रियाएं हस्तनिर्मित हैं। तदनुसार, प्रश्न संख्या 2 और 3 का उत्तर भी प्रतिवादी-अपीलार्थी के पक्ष में दिया जाता है।

प्रश्न क्रमांक 4

(iv) क्या न्यायालयों को यह निष्कर्ष दर्ज करने से पहले कि संपत्ति सहदायिक संयुक्त हिंदू परिवार है, पुराने और नए राजस्व रिकॉर्ड (जोत के समेकन से पहले और बाद में) की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए और इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि संपत्ति जुड़ी हुई है और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है पैतृक होने का दावा करने वाली संपत्ति की पहचान के बारे में संदेह के लिए?

(22) यह दर्ज करने से पहले कि संपत्ति सहदायिक है, उस पक्ष के लिए यह आवश्यक है कि वह संपत्ति सहदायिक होने का आरोप लगाए, यह साबित करे कि सहदायिक अस्तित्व में है और मुकदमा दायर होने तक जारी है। सहदायिक संपत्ति स्थापित करने के लिए, यह आवश्यक है कि पुराने और नए खसरा नंबर (जोत के पूर्व और बाद के समेकन) ठीक से जुड़े हुए हैं और भूमि की पहचान बिना किसी संदेह के स्थापित की गई है। यही कारण है कि उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों में राजस्व अधिकारी की नियुक्ति करने और राजस्व रिकॉर्ड का एक अंश तैयार कराने का प्रावधान किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है, अंश का उत्पादन आवश्यक नहीं है, लेकिन अंश और राजस्व अधिकारी की जांच के अभाव में, न्यायालय या पक्ष को फ़ाइल में पर्याप्त रिकॉर्ड पेश करना होगा जिससे न्यायालय को अभिलेखों की तुलना करने की अनुमति मिल सके ताकि उस भूमि की पहचान की जा सके जिस पर दावा किया गया है। सह-समांशी संपत्ति होना. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, नक्शा हकदरबार और मिसाल हकियत (एकीकरण के बाद पहली जमाबंदी) की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, यह स्पष्ट है कि 80% से अधिक पुराने खसरा नंबर नए खसरा नंबरों से मेल नहीं खाते हैं जो एकीकरण के बाद आवंटित किए गए हैं। वर्ष 1955-56 की जमाबंदी उपरोक्त तथ्य की गवाही देती है। इससे भी आगे, नक्शा हकदरबार स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि ऊपर उल्लिखित 6 अलग-अलग खेवट नंबरों की भूमि को मिला दिया गया है, हालांकि, उपरोक्त सभी 6 खेवटों से जुड़े चकबंदी से पहले का राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(23) इसलिए, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर भी प्रतिवादी-अपीलकर्ता के पक्ष में दिया जाता है।

प्रश्न संख्या 5

(v) क्या न्यायालयों का यह अनुमान लगाना उचित है कि पार्टियों के पिता द्वारा खरीदी गई संपत्ति पैतृक भूमि और सामान्य नाभिक से प्राप्त कमाई से है और इसलिए, खरीदी गई संपत्ति भी सह-दावेरी संपत्ति है?

(24) प्रश्न संख्या 5 के संबंध में, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जो संपत्ति किसी व्यक्ति द्वारा खरीदी गई है, उसे संयुक्त हिंदू परिवार के केंद्र/सामान्य निधि से खरीदी गई नहीं माना जा

सकता है, जब तक कि निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए फाइल पर सबूत न हो। . फ़ाइल में यह साबित हो चुका है कि 29 कनाल और 4 मरले जमीन 16.11.1957 को टेकन द्वारा खरीदी गई थी। इस बात का प्रमाण सामने आया है कि टेकन एक मेहनती व्यक्ति था जो न सिर्फ अपनी जमीन पर खेती कर रहा था बल्कि जमीन पट्टे पर भी ले रहा था. इसके अलावा, वसीयत में, टेकन ने विशेष रूप से कहा है कि जिस जमीन की वसीयत करने की मांग की गई है, वह उसकी स्व-अर्जित संपत्ति है। इसके अलावा, यह साक्ष्य में आया है कि टेकन ब्याज के साथ चुकाए जाने वाले ऋण पर पैसा देने के अलावा मवेशियों का व्यापार भी करता था। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष, टेकन द्वारा लिखी गई पुरानी बहियों (नोटबुकों) को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने की मांग की गई थी, लेकिन विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उपरोक्त साक्ष्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। किसी भी मामले में, एक बार यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि खरीदी गई संपत्ति सामान्य केंद्र या संयुक्त हिंदू परिवार निधि से थी, वादी उस तथ्य को स्थापित करने के लिए किसी भी निर्विवाद सबूत का नेतृत्व करने में विफल रहा है। न्यायालयों ने फाइल पर विश्वसनीय साक्ष्य के बिना इस तथ्य को मान लिया है।

(25) उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर भी प्रतिवादी-अपीलार्थी के पक्ष में दिया जाता है।

प्रश्न क्रमांक 6

(vi) क्या राहत के कुछ हिस्से के लिए अपने मुवक्किल के हितों की रक्षा करते समय पार्टियों के विद्वान वकील का तर्क मुकदमे में दावा की गई पूरी राहत का दावा करते समय आगे की अपील में रोक के रूप में काम कर सकता है?

(26) बहस के समय पक्ष के विद्वान वकील द्वारा ली गई दलील रोक के रूप में काम नहीं कर सकती और पक्ष को दलीलों के आधार पर बहस करने से नहीं रोक सकती। मामले पर बहस करते समय एक वकील को उन सभी तर्कों को उठाने की अनुमति है जो मामले के अनुसार स्वीकार्य हैं। कभी-कभी, टी को द्विभाजित करके तर्क उठाया जाता है

उन्होंने कम से कम राहत के एक हिस्से के संबंध में न्यायालय को आश्वस्त करने के लिए दावा किया। इस तरह के तर्क को मुकदमे/मुकदमे में किए गए शेष दावे के त्याग के रूप में नहीं माना जा सकता है। मुकदमे में दावा की गई राहत के एक हिस्से के लिए प्रार्थना करने वाले विद्वान वकील का तर्क संपूर्ण राहत का दावा करते समय रोक के रूप में काम नहीं करता है जैसा कि दलीलों में दावा किया गया है जब तक कि पक्ष या पक्ष के निर्देश पर वकील ने स्वयं दावे का एक हिस्सा त्याग नहीं दिया हो। इसलिए, वादी के विद्वान वकील का तर्क है कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले के पैरा 16 में, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि खरीदी गई भूमि कम से कम स्व-अर्जित संपत्ति है, इसे शेष संपत्ति के प्रवेश के रूप में नहीं लिया जा सकता है। सहदायिक संपत्ति हो.

(27) इसलिए, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर भी प्रतिवादी-अपीलकर्ता के पक्ष में दिया जाता है।

(28) अब हम वादी द्वारा दायर अपील पर विचार करते हैं। वादी ने पंजीकृत वसीयत अनुलग्नक डी डब्ल्यू-6/ए की वास्तविकता पर नीचे के न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों को चुनौती दी है। वादी-अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त वसीयत तीन गवाहों सूबे सिंह, नंबरदार, नाथू राम नंबरदार और हंसा राम द्वारा प्रमाणित है। हालाँकि, जय प्रकाश और महेंद्र के साक्ष्य में यह आया है कि हंसा राम पुत्र नेमा के नाम का कोई व्यक्ति गाँव में नहीं रहता है।

(29) पेश हुए हंसा राम के साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, यह स्पष्ट है कि वह नवंबर 1992 में गांव अटेरना में बस गए, जहां से इस मुकदमे के पक्षकार हैं, जब उन्होंने जीटी के निर्माण के लिए राजमिस्त्री के रूप में काम करना शुरू किया। पीडब्लूडी विभाग द्वारा सड़क बनवाकर फूस की झोपड़ी में रहने लगे। साक्ष्यों की सराहना करने पर दोनों न्यायालयों ने पाया कि हंसा राम के साक्ष्य विश्वसनीय हैं।

(30) अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील साक्ष्य देने वाले गवाह हंसा राम की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले किसी भी ठोस तथ्य पर न्यायालय का ध्यान आकर्षित नहीं कर सके।

(31) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, 2005 की आरएसए संख्या 3565 की अनुमति दी जाती है जबकि वादी द्वारा आरएसए संख्या 3835 के रूप में दायर अपील खारिज कर दी जाती है।

2005 के आरएसए-3565 में सीएम-9186-सी-2015

(32) आवेदन प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं को इस अपील के लंबित रहने के दौरान विवादग्रस्त भूमि के संबंध में मेस्ने मुनाफा जमा करने का निर्देश देने के लिए है।

(33) आवेदन का निराकरण मुख्य निर्णय के अनुसार किया जाता है।

(34) सभी लंबित विविध आवेदन, यदि कोई हों, तदनुसार निपटाए जाएंगे।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह

अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा

सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण

प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आकाश जिंदल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

गुरूग्राम, हरियाणा